थानाधिकारी, पुलिस थाना समेजा कोठी बनाम कृपाराम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्र.सं. 311/2023 जी.सी.एम.एस. आईडी : 2023/529

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
02.04.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण थानाधिकारी, पुलिस थाना समेजा कोठी एवं जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़ अनुपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी जिला रसद अधिकारी अनूपगढ़ को दिनांक 05.03.2024 को बतौर प्रार्थी पक्षकार संयाजित करते हुए संशोधन शीर्ष उनवान प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। परन्तु आज दिनांक तक संशोधन शीर्षक पेश नहीं किया गया हैं। न्यायालय के पत्र क्रमांक/रीडर/जि.क.अ./2024/378 दिनांक 22.03.2024 के द्वारा थानाधिकारी समेजा कोठी को हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा 213.47 क्विंटल गैंहू व 43 लीटर कैरोसीन के अन्तरिम निस्तारण की तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.03.2024 को व्यक्तिशः उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। दिनांक 26.03.2024 को बार संघ द्वारा कार्य स्थगिक रखे जाने के कारण प्रकरण में आज की तिथि नियत की गयी। थानाधिकारी बावजूद सूचना अनुपस्थित हैं, जबकि हस्तगत प्रकरण थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं, ना ही प्रकरण में जब्तशुदा गैंहू व केरोसीन के अन्तरिम निस्तारण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता अप्रार्थी निवेदन किया कि अप्रार्थी की ग्राम सेवा सहकारी समिति बोर्डर ऐरिया में स्थित होने के कारण वहां नेटवर्क की रेंज कम होने से निरीक्षण के समय पोस मशीन में गैंहू रिसीव होना नहीं पाया गया हैं। जबकि अप्रार्थी द्वारा ऑनलाईन मशीन में रिसीव किया गया था जो पोस मशीन में तकनीकी खराबी के कारण नहीं हो पाया। तथा सामान गोदाम में रखा हुआ था। चाबी समय पर नहीं मिलने से भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा सका। जिस कारण 213.47 क्विंटल बारदाना सहित व 43 लीटर कैरोसीन पूरा जब्त कर लिया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का गबन नहीं किया गया एवं ना ही प्राधिकृत पत्र की शर्तो तथा अन्य कोई उल्लंघन किया हैं। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने के लिए निवेदन किया। थानाधिकारी की ओर से 6ए आवश्यक वस्तु अधि. के तहत इस्तगासा प्रस्तुत करन निवेदन किया गया कि अप्रार्थी के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की धारा 10(1),(4i) तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तु वितरण विनियमन आदेश 1976 की धारा 6, डीलर को प्राधिकार पत्र की शर्त 15 व 17 का उल्लंघन करने के कारण धारा 409 आईपीसी व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया गया हैं। जब्तशुदा गैंहू व केरोसीन का निस्तारण धारा 6ए आ.व.अधि. के तहत किये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की उपधारा 1 के तहत यदि कलक्टर का समाधार हो जाता हैं कि आदेश का उल्लंघन हुआ है तो वह ऐसी अभिगृहीत वस्तु के अधिग्रहण का आदेश कर [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। [illegible] में प्रार्थीगण प्रार्थीगण सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि अप्रार्थी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया हैं। तथा प्रार्थीगण की ओर से प्रकरण में पैरवी भी नहीं की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं। लिहाजा प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अवधेश मीना) I.A.S. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:32:42 IST
Reason: SelfAttested